समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,)
आदेश

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार/पटना के आवंटन आदेश संख्या-110 दिनांक- 15.01.2014 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्धावस्था पेंशन) **''सामान्य घटक''** के अन्तर्गत पेंशनधारियों को नगद पेंशन भुगतान हेतु मुंगेर जिले को मो0- 5,00,000=00 (पाँच लाख) रूपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुए है,जिसे निम्न प्रकार से उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखंड का नाम	उपावंटित राशि	अभि0।
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी,सदर।	91800=00	न0नि0सहित
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी,जमालपुर।	40800=00	न0परि0सहित
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी,बरियारपुर।	-	
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी,धरहरा।	60000=00	
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी,खड़गपुर।	141600=00	न0पं0सहित
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी,टेटिया-वम्बर।	57000=00	
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी,तारापुर।	57800=00	
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी,संग्रामपुर।	51000=00	
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी,असरगंज।	-	
	कुल :-	5,00,000=00	

(2) उक्त उपावंटित राशि से राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन) योजनान्तर्गत स्वीकृत पेंशनधारियों (सामान्य घटक) को 200/-दो सौ रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान हेतु राशि उपावंटित की जा रही है।

(3) उपावंटित राशि माँग सं0-51,मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,उप मुख्य शीर्ष-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम,लघु शीर्ष-102 समाज सुरक्षा योजना के अधीन पेंशन,उप शीर्ष-0101- वृद्धावस्था पेंशन योजना,विषय शीर्ष 31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा,विपत्र कोड सं0-**P-2235601020101** तथा **स्कीम कोड WEL-5502** से विकलनीय होगा।

(4) उक्त उपावंटित राशि **वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 एवं 7729 दिनांक 26.07.2012** में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं0-**1003** दिनांक 14.05.2013 के आलोक में पेंशनधारियों को पेंशन के नगद भुगतान हेतु शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(5) जिस मद में राशि उपावंटित की गयी है,उसे उसी मद में व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

(6) प्रखंड विकास पदाधिकारी,सदर,जमालपुर एवं खड़गपुर को निदेशित किया जाता है कि उन्हे नगर निगम,नगर परिषद,एवं नगर पंचायत के राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की भी राशि उपावंटित की जा रही है। (7) उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार,बिहार,पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(8) उपावंटित राशि की निकासी कोषागार मुंगेर से करते हुए अपने प्रखंड अन्तर्गत एक दिन शिविर का आयोजन कर भुगतान करना सुनिश्चित करें साथ ही साथ शिविर की तिथि से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

D:\Allotment 04.doc

ज्ञापांक............/सा0सु0को0, दिनांक...............

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी,मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी,सदर/खड़गपुर/एवं तारापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त,नगर निगम मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी,नगरपरिषद,जमालपुर/नगरपंचायत,खड़गपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 -

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 45 /सा0सु0को0, दिनांक 29.1.14

प्रतिलिपि :- NIC मुंगेर को सूचनार्थ एवं मुंगेर के वेवसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/1/14

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

D:\Allotment 04.doc